

धारा 21 : आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति

जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है, वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 ¹[या धारा 74क] के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।